



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268909
CG-DL-E-30122025-268909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5828]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947

No. 5828]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसंबर, 2025

का.आ. 6028 (अ), केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना का.आ. 79 (अ) तारीख 03 फरवरी 1997 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में 4 फरवरी 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

“1. डॉ. प्रवीण कुमार सिंह

कृषि आयुक्त,

कृषि और किसान कल्याण विभाग,

नई दिल्ली।

अध्यक्ष इस अधिसूचना के प्रकाशन की

तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या

अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।”

[फा.सं.13029/02/2019-पीपी-1]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 79 (अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना संख्या का.आ. 5012 (अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संसोधित किया गया

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2025

S. O. 6028(E). - In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“1. Dr. Praveen Kumar Singh,
Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture and
Farmers Welfare, New Delhi.

Chairman for a period of one year or until further orders
whichever is earlier from the date of publication of this
notification.”

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and last amended *vide* number S.O. 5012 (E), dated the 25th October, 2022.